छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-19

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017</u>

(चैत्र 7, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 45 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने -

1. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2016-17 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा
2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994 की धारा-19 के अंतर्गत सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016 **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

3. व्यवस्था का प्रश्न एवं व्यवस्था

ध्यानाकर्षण सूचना हेतु श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य का नाम पुकारे जाने पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि हमारे स्थगन पर व्यवस्था दी गई थी कि इस विषय को किसी न किसी रूप में लेंगे तद्नुसार ध्यानाकर्षण में पहला अधिकार विपक्ष के सदस्यों का है।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि हमारे स्थगन और माननीय सदस्य द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण का विषय अलग-अलग है अत: अलग-अलग चर्चा का अवसर दिया जाये।

माननीय सभापति ने अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (10) का उल्लेख किया - यदि ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचना के तथ्य लगभग एक ही प्रकार के हों तो जिन माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव सूचना से पहले प्रस्तुत की गई है ऐसे सदस्यों के नाम पहले क्रम में दिये जायेंगे। प्रथम तीन के क्रम में यदि स्थगन प्रस्ताव के प्रेषणकर्ता के नाम आयेंगे तो ही उनके नाम कार्यसूची में शामिल किये जायेंगे अन्यथा नहीं किये जायेंगे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, भूपेश बघेल, टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने प्रदेश में पैरामेडिकल चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवशंकर पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

(2) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर
(2) श्री मोतीलाल देवांगन
(3) डॉ. प्रीतम राम
(4) श्री अमरजीत भगत
(5) श्री भैयाराम सिन्हा

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अष्टम् प्रतिवेदन (तृतीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सप्तम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री जयसिंह अग्रवाल, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, उइके रामदयाल, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, जनकराम वर्मा, केशव चन्द्रा, डॉ. विमल चोपड़ा एवं श्री अमित अजीत जोगी।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति (क्रमश:)

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9.निलंबन अवधि की समाप्ति

मानसनीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने नान घोटाले से संबंधित डायरी पटल पर रखे जाने की अनुमति मांगी।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि अनुमति नहीं है।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

10. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) माननीय खाद्य मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रारंभ की ।

सर्वश्री अशोक साहू, मोहन मरकाम।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने श्रम से संबंधित मांग संख्या 18 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-18 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सियाराम कौशिक, जनकराम वर्मा मांग संख्या-43 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोतीलाल देवांगन, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री भोलाराम साहू, (डॉ.) प्रीतम राम, जनकराम वर्मा, राजेन्द्र कुमार राय, मोहन मरकाम एवं सियाराम कौशिक सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री श्याम बिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री जनकराम वर्मा, रामलाल चौहान, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अरूण वोरा।

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.हिन्दू नववर्ष की बधाई

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। (प्रश्नकाल के दौरान)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिन्दू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

माननीय अध्यक्ष ने अपने एवं सदन की ओर से हिन्दू नववर्ष का स्वागत किया एवं कामना की कि आप, हम सब मिलकर इस नववर्ष में और ऊचाइयों को प्राप्त करेंगे।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पशुधन विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) पर विचार किया जाये।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, डॉ. खिलावन साहू।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पशुधन विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्‌यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) पारित किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सायं 4.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017 (चैत्र-8, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा